बिहार सरकार
गृह विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक 19-6-14

संख्या 3297 / कारा अधिनियम, 1894 की धारा 59 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य के काराओं में कक्षपाल के पदों पर भर्ती एवं सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।–

1.1 यह नियमावली "बिहार कक्षपाल संवर्ग नियमावली, 2014" कही जा सकेगी।

1.2 इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

1.3 यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. परिभाषाएँ।– जब तक कोई बात संदर्भ में विरुद्ध न हो, इस नियमावली में–

(a) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(b) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार;

(c) "विभाग" से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट गृह विभाग;

(d) "कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय" से अभिप्रेत है महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार का कार्यालय;

(e) "परीक्षा एजेंसी" से अभिप्रेत है केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) अथवा गृह विभाग द्वारा चयनित कोई अन्य एजेंसी;

(f) "संवर्गीय प्रोन्नति के पद" से अभिप्रेत है कक्षपाल संवर्ग में सरकार द्वारा समय–समय पर नियत प्रतिशत के आधार पर एवं इस नियमवली में समुचित स्थान पर उल्लिखित वरीयता सह योग्यता के आधार पर "उच्च कक्षपाल" एवं "मुख्य उच्च कक्षपाल" के पद पर दी जाने वाली प्रोन्नति;

(g) इस नियमावली में प्रयुक्त सभी शब्द एवं भाव, जो इसमें परिभाषित नहीं है, परन्तु अधिनियम/बिहार कारा हस्तक में परिभाषित हैं उनका समान रुप से वही भावार्थ समझा जायेगा, जैसा कि वे परिभाषित हैं।

3. संवर्ग का गठन।–

3.1 इस संवर्ग में प्रत्येक सोपान के पदों की संख्या तथा उनकी कुल संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा मंजूर/अवधारित की गई हो तथा भविष्य में सरकार द्वारा समय–समय पर मंजूर अथवा अधिसूचित की जाय।

3.2 इस संवर्ग का पद सोपान निम्नवत् होगाः–

(i) कक्षपाल

(ii) उच्च कक्षपाल

(iii) मुख्य उच्च कक्षपाल

टिप्पणी।–

3.3 उच्च कक्षपाल एवं मुख्य उच्च कक्षपाल के प्रोन्नति आधारित पद कुल स्वीकृत संवर्गीय पदबल की सीमा के अधीन होंगे अथवा समय–समय पर सरकार द्वारा जैसा कि विहित किया जाए अथवा स्वीकृत किया जाए या स्वीकृत किया गया हो।

3.4 कक्षपाल से उच्च कक्षपाल एवं उच्च कक्षपाल से मुख्य उच्च कक्षपाल के पद पर प्रोन्नति की प्रक्रिया वही होगी, जैसा कि समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित प्रावधानों के आलोक में महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ द्वारा नियत किया जाए।

4. भर्ती।–

4.1 राज्य अवस्थित काराओं में समय–समय पर विहित वेतनमान पर कक्षपाल के नियमित पद पर नियुक्ति की जाएगी।

4.2 कुल पदबल के विरूद्ध 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती एवं 25 प्रतिशत पद बिहार राज्य के प्रशिक्षित गृह रक्षकों से एवं शेष 25 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों से भरा जायेगा।

5. अर्हता।–

5.1 <u>शैक्षणिक अर्हता</u>–किसी भी राज्य शासन/केन्द्रीय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/पर्षद से इंटरमीडिएट (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा उतीर्ण।

5.2 <u>आयुः</u>–

5.2.1 सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा, निम्नवत् (अथवा समय–समय पर जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय) होगीः–

(क)	सामान्य कोटि	–	18 से 23 वर्ष
(ख)	पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	–	18 से 25 वर्ष
(ग)	महिला (अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	–	18 से 26 वर्ष
(घ)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	–	18 से 28 वर्ष

5.2.2 गृह रक्षकों से भरी जानेवाले रिक्तियों के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा एवं उसमें छूट का मापदंड वही होगा जो बिहार पुलिस में "सिपाही" पद के लिए समय–समय पर विहित किया जाए।

5.2.3 भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी।

<u>स्पष्टीकरण</u>।–

5.3 अर्हता प्राप्त गृह रक्षकों एवं भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में रिक्तियाँ उसी आरक्षण कोटि के गैर गृह रक्षक/गैर भूतपूर्व सैनिक अर्थात सीधी भर्ती के उम्मीदवारों से भरी जा सकेगी।

5.4 अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के उम्मीदवारों की गणना सामान्य कोटि के उम्मीदवार के रूप में की जायेगी एवं तदनुरूप उनके लिये आयु सीमा वही होगी जो सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए लागू होगी।

6. <u>नियुक्ति के आधार एवं प्रक्रिया</u>।–

6.1 कक्षपाल के पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित की गयी परीक्षा एवं अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।

6.2 **सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया।–**

6.2.1 सीधी भर्ती हेतु प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण होंगे:–

(i) **प्रथम चरण**–प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा, परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित की जायेगी।

(ii) **द्वितीय चरण**–परीक्षा एजेंसी द्वारा लिखित परीक्षा के गुणागुण के आधार पर प्रतिवेदित रिक्ति के पाँच गुणा अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार की जाएगी। शारीरिक जाँच हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रुप से कम किया जा सकेगा। इन सभी अभ्यर्थियों की दौड़ जाँच कराई जाएगी.

(iii) **तृतीय चरण**–दौड़–जाँच में उतीर्ण होनेवाले अभ्यर्थियों की शारीरिक माप एवं जाँच कराई जायेगी। शारीरिक माप एवं जाँच में योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची के आधार पर परीक्षा एजेंसी द्वारा इन योग्य अभ्यर्थियों में मेधावार एवं आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के बराबर अभ्यर्थियों का चयन कर उसकी सूची नियुक्ति प्राधिकार को सौंप दी जाएगी।

(iv) **चतुर्थ चरणः**–परीक्षा एजेंसी से योग्य अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने के पश्चात विहित प्रावधान के अधीन गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण संचालित किया जायेगा। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा।

(v) यदि चिकित्सीय परीक्षण में कुछ अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं तो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा चिकित्सीय परीक्षण में असफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा एजेंसी से आरक्षण कोटिवार अभ्यर्थियों की मेघा सूची से नामों की अनुशंसा मांगी जाएगी तथा परीक्षा एजेंसी से ऐसी सूची प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा उनकी नियुक्ति हेतु समुचित कार्रवाई की जाएगी।

6.2.2 <u>सीधी भर्ती हेतु चयन के लिए हेतु विहित मापदंड</u>।–

(i) **लिखित परीक्षाः**–लिखित परीक्षा का स्तर एवं मापदंड वही होगा, जो बिहार पुलिस में सिपाही हेतु विहित है साथ ही लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अंक एवं मेधा सूची तैयार करने की प्रक्रिया एवं प्रावधान वही होगें, जो बिहार पुलिस में सिपाही की भर्ती हेतु लागू होंगे।

(ii) **दौड़ जाँच परीक्षाः**– दौड़ जाँच परीक्षा का स्तर एवं मापदंड वही होगा, जो बिहार पुलिस में सिपाही हेतु विहित है।

(iii) **शारीरिक माप एवं जाँचः**–शारीरिक माप एवं जाँच का स्तर एवं मापदंड वही होगा, जो बिहार पुलिस में सिपाही हेतु विहित है।

6.2.3 यदि परीक्षा एजेंसी के रुप में केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा परीक्षा ली जायेगी तो केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा कक्षपाल के पद हेतु परीक्षा को सिपाही के पद पर भर्ती हेतु आयोजित की जानेवाली परीक्षा के साथ–साथ या अलग–अलग आयोजित किया जा सकेगा।

6.3 भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत पदों तथा बिहार राज्य के गृह रक्षकों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत पदों पर भर्ती हेतु प्रक्रिया।–

6.3.1 **लिखित परीक्षाः**–भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत पदों तथा बिहार राज्य के गृह रक्षकों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत कक्षपाल के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन परीक्षा एजेंसी द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन पत्रों के आधार पर अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जायेगी। लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अंक एवं मेधा सूची तैयार करने की प्रक्रिया एवं प्रावधान वही होगें, जो बिहार पुलिस में सिपाही की भर्ती हेतु लागू होंगे।

6.3.2 परीक्षा एजेंसी सीधी भर्ती के लिए अथवा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत पदों तथा बिहार राज्य के गृह रक्षकों के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत पदों पर भर्ती हेतु अलग–अलग अथवा एक साथ विज्ञापन निकालकर लिखित परीक्षा आयोजित कर सकेगा।

6.3.3 लिखित परीक्षा के परिणाम के पश्चात परीक्षा एजेंसी द्वारा रिक्तियों के अनुसार आरक्षण कोटिवार सफल अभ्यर्थियों की सूची कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय को प्रेषित कर देगा।

6.3.4 लिखित परीक्षा में सफल होनेवाले अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाएगा तथा चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाए जानेवाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु समुचित कार्रवाई की जाएगी।

6.3.5 यदि चिकित्सीय परीक्षण में कुछ अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं तो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा चिकित्सीय परीक्षण में असफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार आरक्षण कोटिवार अभ्यर्थियों की मेघा सूची से परीक्षा एजेंसी से अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा मांगी जाएगी तथा परीक्षा एजेंसी से ऐसी सूची प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा समुचित कार्रवाई की जा सकेगी।

6.4 चिकित्सकीय परीक्षण।– चिकित्सकीय परीक्षा निम्नलिखित मानक के आधार पर करायी जायेगी :–

(i) उम्मीदवार को घुटने जुड़ना (नॉकिंग नी) एवं चपटे तलवे (फ्लैट फुट) की लक्षण नहीं होनी चाहिए।

(ii) उम्मीदवार सामान्य रुप से सुन सके एवं श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) का प्रयोग करने की बाध्यता न हो।

(iii) यदि किसी उम्मीदवार को हर्निया/हाईड्रोसिल हो तो शल्य चिकित्सा के पश्चात ही उनकी उम्मीदवारी योग्य समझी जाएगी।

(iv) उम्मीदवारों को आँखों की कोई गंभीर बीमारी न हो। नेत्रों की दृष्टि चश्मा सहित या चश्मा रहित 6/6 होनी चाहिए रात्रि अंधता या वर्णाध (कलर ब्लाईन्डनेस) नहीं होनी चाहिए।"

7. आरक्षण।– बिहार राज्य आरक्षण अधिनियम के समय–समय पर लागू प्रावधान इन सभी भर्तियों एवं प्रोन्नतियों में लागू होंगे और इसका लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी को ही अनुज्ञेय होगा।

8. प्रशिक्षण।– नव नियुक्त कक्षपालों के लिए तीन माह का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। यह प्रशिक्षण कारा प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्रीय कारा/मंडल कारा में अथवा नियुक्ति प्राधिकार के निर्णयानुसार किसी अन्य संस्थान में संचालित किया जायेगा।

9. परिवीक्षा अवधि।– इस पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से नवनियुक्त कर्मियों के लिये परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। वर्द्धित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर पदधारी सेवा से हटाया जा सकेगा।

10. सम्पुष्टि।– महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार द्वारा परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण होने एवं विभागीय परीक्षा में सफल होने के उपरांत सेवा संपुष्ट की जायेगी।

11. वेतनमान।– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संवर्ग के अनुरूप यथा अधिसूचित विहित वेतनमान एवं तदनुसार अन्य भत्ते अनुमान्य होंगे।

12. वरीयता।–

12.1 वरीयता परीक्षा एजेंसी द्वारा निर्गत मेधा सूची के आधार पर नियत की जायेगी।

12.2 पूर्व से नियुक्त कक्षपालों की वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित किये गये प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

13. अनुशासन, अपील एवं शास्तियाँ।–इस संवर्ग के सभी सदस्यों पर बिहार कारा हस्तक, 2012 के प्रावधान लागू होंगे। परन्तु, जिसके संबंध में बिहार कारा हस्तक, 2012 में यदि उल्लेख नहीं हो, वहाँ, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधान लागू होंगे।

14. निरसन एवं व्यावृत्ति।–

14.1 इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के प्रभाव से कक्षपाल संवर्ग एवं पद हेतु पूर्व में अधिसूचित एवं लागू सभी नियम/संकल्प/परिपत्र/आदेश निरसित समझे जायेंगे।

14.2 ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावलियों/संकल्प/परिपत्र एवं आदेश द्वारा प्रदत्त अथवा के अधीन शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी मानों जब कार्य किया गया था या कार्रवाई की गयी थी उस दिन यह नियमावली प्रवर्तन में थी।

14.3 इस नियमावली के किसी भी प्रावधान या नियम को लागू करने के संबंध में उद्भूत किसी कठिनाई को दूर करने की शक्ति सरकार के अनुमोदन से कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय को होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19/6/14

अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

D:\DIR. CELL\2014\Niyamawali\Warder Niyamawali Hindi -23.01.2014.doc

ज्ञापांकः–कारा/स्था0(कक्ष0)01–39/2011...3292.....पटना, दिनांक 19 जून, 2014।

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, गुलजारबाग प्रेस, पटना–7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उन्हें निदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायें।

19/6/14

अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांकः–कारा/स्था0(कक्ष0)01–39/2011...3292......पटना, दिनांक 19 जून, 2014।

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/6/14

अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांकः–कारा/स्था0(कक्ष0)01–39/2011...3292.......पटना, दिनांक 19 जून, 2014।

प्रतिलिपिः–सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), कम्प्यूटर भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/6/14

अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांकः–कारा/स्था0(कक्ष0)01–39/2011...3292.......पटना, दिनांक 19 जून, 2014।

प्रतिलिपिः–महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना/अधीक्षक, केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/उपकारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/6/14

अपर सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

D:\DIR. CELL\2014\Niyamawali\Warder Niyamawali Hindi -23.01.2014.doc